<u>प्रेस नोट</u> <u>दिनांक 10.09.2020</u>

<u>सराहनीय कार्य जनपद बागपत।</u>

- **दिल्ली पुलिस के सिपाही की गोली मारकर लूट/हत्या की घटना का सफल अनावरण, सलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल अवैध असलाह मय कारतूस, 02 मो0सा0, मृतक का पुलिस आईकार्ड व क्रेडिट कार्ड एवं लूट के 10 हजार रूपये बरामद।**

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 07.09.2020 को थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रोषनगढ गेट के पास निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प के सामने दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष यादव उम्र 35 वर्ष पुत्र कृष्णपाल यादव निवासी ग्राम डालूहेडा थाना जानी जनपद मेरठ को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया व उसके पर्स सहित 20 हजार रूपये लूटकर ले गये। घायल सिपाही के चाचा अभयराम यादव पुत्र मगलू यादव की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 272/2020 धारा 307 भादवि बनाम अज्ञात 02 मो0सा0 सवार बदमाषों के विरूद्व पंजीकृत किया गया था। दिनांक 07.09.2020 को ही रात्रि में केएमसी जनपद मेरठ हॉस्पीटल मे दौरान उपचार गम्भीर रूप से घायल दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष की मृत्यु हो गई। जिससे मुकदमे मे धारा 302, 394, 34, 411 भादवि की वृद्वि की गई।

<u>पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–</u>

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन में क्षेत्राधिकारी बागपत के नेतृत्व में थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर रोशनगढ दत्तनगर रोड से लूट व हत्या में संलिप्त अभियुक्त 1–नदीम उर्फ हकला पुत्र रहीसुददीन निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत हाल निवासी खन्ना नगर रामपाल थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2–इमरान पुत्र सत्तार निवासी रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट व हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस, लूटे हुये रूपयो मे से 4000 रूपये (मु0अ0स0 272/2020), लूटे हुये रूपयो मे से 1000 रूपये (मु0अ0स0 264/2020), घटना मे प्रयुक्त दो मो0सा0 कमषः एक मो0सा0 अपाचे नम्बर–डीएल–8एसएनडी– 4115, व एक बुलेट मो0सा0 रंग काला बिना नम्बर व अभियुक्तों की निषादेही से अभियुक्त नदीम के घर से मृतक मनीष का दिल्ली पुलिस का आईकार्ड एवं केडिट कार्ड तथा थाना बालैनी के मु0अ0सं0 99/2020 धारा 392, 411 भादवि में लूटे हुए 05 हजार रूपये अभियुक्त नदीम के घर से बरमाद किये है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना सिंघावली अहीर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ मे प्रकाष मे आये तथ्य–</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि नदीम, इकराम व फरार साथी जावेद एवं एक अन्य साथी द्वारा पिलाना चौराहे के पास बैठकर षराब पी रहे थे कि मृतक मनीष मोटरसाईकिल पर आता दिखाई दिया। अभियुक्तों ने मनीष की मोटरसाईकिल को रूकवाने का प्रयास किया न रूकने पर उसके पीछे अपनी 02 मोटरसाईकिलो से चारों अभियुक्तों द्वारा पीछा कर ग्राम रोषनगढ गेट के पास निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प के सामने मृतक मनीष की मोटरसाईकिल रूकवाकर उसके साथ गाली–गलौच कर मारपीट करते हुए अभियुक्त नदीम ने अपने 03 साथियों के कहने पर दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और उसके पर्स सहित 20 हजार रूपये लूट कर ले गये।

अनावरण हुई अन्य घटनाऐं–

1–अभियुक्तों द्वारा अपने फरार साथी जावेद के साथ मिलकर दिनांक 01/09/2020 को थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत तेडा चौकी के पिछे कुलदीप दीक्षित पुत्र धर्मपाल दीक्षित निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को चाकू मारकर घायल कर 1600 रूपये लूट लिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 264/2020 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया था।

2–अभियुक्तों द्वारा अपने फरार साथी जावेद के साथ मिलकर दिनांक 06/09/2020 को थाना बालैनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कैडवा से मवीकला मार्ग पर कपिल पुत्र कृष्णगिरी निवासी दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत से 05 हजार रूपये लूट लिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 99/2020 धारा 392, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्तों का नाम व पता–

1–नदीम उर्फ हकला पुत्र रहीसुददीन निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत हाल निवासी खन्ना नगर रामपाल थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

2–इमरान पुत्र सत्तार निवासी रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।

फरार अभियुक्तों का नाम व पता–

1–जावेद पुत्र इकराम निवासी कांधला जनपद षामली हाल निवासी धोबी तालाब निकट षीषे वाली मस्जिद थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

2–अज्ञात।

बरामदगी का विवरण–

1–लूट/हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस।

2–लूटे हुये रूपयो मे से 4000 रूपये मु0अ0स0 272/2020 धारा 302, 394, 34, 411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3–लूटे हुये रूपयो मे से 1000 रूपये मु0अ0स0 264/2020 धारा 394 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4–घटना मे प्रयुक्त एक मो0सा0 अपाचे नम्बर–डीएल–8एसएनडी– 4115

5–घटना मे प्रयुक्त एक बुलेट मो0सा0 रंग काला बिना नम्बर।

6–निषादेही से अभियुक्त नदीम के घर से मृतक मनीष का दिल्ली पुलिस का आईकार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।

7–निषादेही से अभियुक्त नदीम के घर से लूटे हुए रूपये 05 हजार रूपये मु0अ0सं0 99/2020 धारा 392, 411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत।

अभियुक्त नदीम का अपराधिक इतिहास–

1–मु0अ0स0 2494/2018 धारा 302 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद।

2–मु0अ0स0 1361/2018 धारा 302, 394 भादवि थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद।

3–मु0अ0स0 1162/2018 धारा 392 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

4–म0ुअ0स0 2035/2018 धारा 392 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।

5–मु00स0 2246/2018 धारा 414 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।

6–मु0अ0स0 264/2020 धारा 394, 504, 411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

7–मु0अ0स0 272/2020 धारा 394, 302, 34 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

8–मु0अ0स0 276/2020 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

अभियुक्त इमरान का अपराधिक इतिहास–

1–मु0अ0स0 264/2020 धारा 394, 504, 411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2–मु0अ0स0 272/2020 धारा 394, 302, 34 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3–मु0अ0स0 275/2020 धारा 3/25 षस्त्र अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

फरार अभियुक्त जावेद का अपराधिक इतिहास–

1–मु0अ0स0 199/2001 धारा 25 षस्त्र अधिनियम थाना दयालपुर दिल्ली।

2–मु0अ0स0 229/2001 धारा 25/54/59 षस्त्र अधिनियम थाना दयालपुर दिल्ली।

3–मु0अ0स0 188/2002 धारा 420, 468, 471 भादवि थाना आईपी स्टेट सेन्ट्रल दिल्ली।

4–ईएफआईआर 015153/2017 धारा 379, 411 थाना आईपी स्टेट सेन्ट्रल दिल्ली।

5–मु0अ0स0 304/2017 धारा 356, 379, 34 भादवि थाना महरौली दिल्ली।

6–मु0अ0स0 593/2017 धारा 356, 379, 411, 34 भादवि थाना महरौली दिल्ली।

7–मु0अ0स0 694/2017 धारा 392 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

8–मु0अ0स0 849/2017 धारा 392, 411 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

9–मु0अ0स0 850/2017 धारा 414 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

10–मु0अ0स0 2042/2017 धारा 392, 411 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

11–मु0अ0स0 2119/2017 धारा 356, 379 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

12–मु0अ0स0 01/2018 धारा 379 भादवि थाना ग्रेटर कैलाष दिल्ली।

13–मु0अ0स0 40/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

14–मु0अ0स0 199/2018 धारा 25 षस्त्र अधिनियम थाना नेबसराय दिल्ली।

15–मु0अ0स0 15/2019 धारा 356, 379, 34 थाना दयालपुर दिल्ली।

16–मु0अ0स0 155/2019 धारा 323, 376डी भादवि थाना भजनपुरा दिल्ली।

17–मु0अ0स0 229/2019 धारा 25/54/59 षस्त्र अधिनियम थाना दयालपुर दिल्ली।

18–मु0अ0स0 264/2020 धारा 394, 504, 411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

19–मु0अ0स0 272/2020 धारा 394, 302, 34 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

- **थाना एएचटीयू बागपत द्वारा चलाये गये नो चाइल्ड लेवर अभियान मे 03 बाल श्रमिको का कराया गया रेस्कयू।**

आज दिनांक 10.09.2020 को श्री मनीष मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत/नोडल अधिकारी ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत व श्री मंगल सिह रावत क्षेत्राधिकारी खेकडा के कुशल नेतृत्व में थाना एएचटीयू बागपत टीम द्वारा नो चाइल्ड लेवर अभियान चलाया गया। जिसमे थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र से 03 बाल श्रमिको का रेस्कयू किया गया। बाल श्रमिको को मा0 न्यायालय सीडब्लूसी बागपत के समक्ष पेष कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

रेस्क्यू किये गये बाल श्रमिको व सेवायोजक/निरीक्षत प्रतिष्ठान का नाम व पता एवं बच्चों का किया गया कार्य–

1–अब्दूल आहद पुत्र रहमइलाही निवासी मौ0 देषराज कस्बा व थाना बागपत उम्र करीब 13 वर्ष।

2–चांद पुत्र साबिर निवासी मुन्ना वाली गली निकट बर्फखाना कस्बा व थाना बागपत उम्र करीब 12 वर्ष।

उपरोक्त दोनो बाल श्रमिक दिलषाद पुत्र सुलेमान निवासी मौ0 देषराज कस्बा व थाना बागपत के यहां दिलषाद बाईक सर्विस सेन्टर दिल्ली सहारनपुर रोड बागपत के यहां मोटरसाईकिल की सर्विस व मरम्मत के दौरान हेल्पर का कार्य कर रहे थे।

3–फारूख पुत्र महबूब निवासी नई बस्ती मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत उम्र करीब 11 वर्ष।

यह बाल श्रमिक अली पुत्र मुजफ्फर निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत के यहां अली बाईक पॉईंट दिल्ली सहारनपुर रोड बागपत के यहां मोटरसाईकिल की सर्विस व मरम्मत के दौरान हेल्पर का कार्य कर रहे थे।

टीम–

1–उप निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिह सन्धु प्रभारी ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।

2–श्री देवेन्द्र धामा नवोदय लोक चेतना कल्याण समिति जनपद बागपत।

3–आरक्षी 106 प्रवीण कुमार–थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद बागपत।

- **थाना बिनौली पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 44 पव्वा देषी षराब नाजायज बरामद।**

थाना बिनौली– पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.09.2020 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त एहतेषान पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 44 पव्वा देषी षराब यूपी मार्का नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।